किसी नए पालिटेक्निक की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान द्वारा भेजे जाने के लिए पड़ा माल

637. **श्री राम जेठ मलानी :**
श्री रणजीत सिंह :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1991 के अंत तक देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर विदेशों को भेजा जाने वाला बकाया माल भारी मात्रा में पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1991 में हवाई अड्डा वार पड़े हुए ऐसे माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बकाया माल को यथाशीघ्र विदेशों को भेजने को सुनिश्चित करने के लिए एयर इंडिया को आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता की धनराशि कितनी है तथा बकाया माल के कब तक विदेशों को भेज दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरमोहन धवन) : (क) और (ख) जी, नहीं। 31.1.91 को स्टाक निम्नानुसार था;

दिल्ली	1760 मिट्रिक टन
बम्बई	226 मिट्रिक टन
मद्रास	254 मिट्रिक टन
कलकत्ता	80 मिट्रिक टन

(ग) और (घ) एयर इंडिया को फरवरी से मई, 1991 की अवधि में प्रति सप्ताह 100 टन की अतिरिक्त क्षमता जुटाने के लिए कहा गया है। सरकार एअर इंडिया को संभावित हानि के लिए अधिकतम सीमा तक 12 करोड़ रुपए तक की क्षतिपूर्ति करेगी।

देश में इंजीनियरी तथा पालिटेक्निक कालेजों में प्रवेश हेतु मार्ग-निर्देशन

638. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने समूचे भारत में इंजीनियरी और पालिटेकनिक कालेजों में दाखिलों में एकरूपता लाने के लिए योग्यता के आधार पर कुछ मार्गनिर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्ष में उपरोक्त संस्थानों में दाखिले इन मार्गनिर्देशों के आधार पर किए जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री राजमंगल पाण्डेय) : (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं। निर्धारित की गई मार्गदर्शी रूपरेखाएं निम्नलिखित हैं:-

1. इंजीनियरी कालेजों में डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए

इन्जीनियरी में डिग्री कार्यक्रमों में दाखिले के लिए, न्यूनतम अर्हता, परीक्षा में एक ही बार बैठने से भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित में न्यूनतम कुल अंकों के 60 प्रतिशत अंकों सहित 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। यह मानदंड उन दाखिलों के लिए लागू होगा जहां 10+2 विज्ञान शिक्षा की परीक्षा में उपलब्ध अंकों के आधार पर दाखिले किये जाते हैं और प्रवेश परीक्षा के आधार पर नहीं।